खण्ड-12, अंक-1, वर्ष-2024, मु0प्र0 152-155
D.O.I.: https://doi.org/10.22445/avsp.v12i1.24
SJIF (2024) : 8.287

Intellectual Property Right: A Study

Pragya Mishra[1] and Amitendra Singh[2]
[1]Department of Mathematics, [2]Department of Economics
Pt. Deen Dayal Upadhyay Govt. Girl's P. G. College, Rajajipuram, Lucknow-226 017, UP, India
pragyamishra2019@gmail.com, amitendra82@gmail.com

Received: 16-07-2024, Accepted: 10-10-2024

Abstract- Present paper enlightens on the intellectual property right and to provide necessary information on this topic. In this, first, we will define the right to intellectual property, the need for intellectual property and the right to intellectual property in the present society and the historical scenario of various acts related to it. It will shed light on the various Acts passed in the Parliament under the Right to Intellectual Property in India and indicate their respective departments. The study presents details on the International Organization for Intellectual Civilization and necessary information as possible as on Copyright, Patent and Trademark.

Key words- Intellectual Property Right, Copyright, Patent, Trademark

बौद्धिक संपदा अधिकारः एक अध्ययन

प्रज्ञा मिश्रा[1] एवं अमितेन्द्र सिंह[2]
[1]गणित विभाग, [2]अर्थशास्त्र विभाग
पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय, राजाजीपुरम, लखनऊ–226 017, उ0प्र0, भारत
pragyamishra2019@gmail.com, amitendra82@gmail.com

सार– प्रस्तुत पत्र का उद्देश्य बौद्धिक सम्पदा के अधिकार पर प्रकाश डालना एवं इस विषय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना है। इसमें सर्वप्रथम हम बौद्धिक सम्पदा के अधिकार को पारिभाषित करेगें। वर्तमान समाज में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार की आवश्यकता एवं इससे सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों के ऐतिहासिक परिदृश्य पर प्रकाश डालेंगें। भारत में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अन्तर्गत संसद में पारित किये गये विभिन्न अधिनियमों और अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा संगठन पर विवरण प्रस्तुत करेगें। तत्पश्चात् प्रतिलिप्याधिकार या कॉपीराइट, पेटेन्ट एवं ट्रेडमार्क पर यथासम्भव आवश्यक जानकारियों को प्रस्तुत करेगें।

बीज शब्द– बौद्धिक संपदा अधिकार, कॉपीराइट, पेटेन्ट एवं ट्रेडमार्क

1. **परिचय**– बौद्धिक सम्पदा अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी वस्तु अथवा विचार के निर्माता को उस वस्तु अथवा विचार के निर्माण का सम्पूर्ण श्रेय प्रदान करता है। एक सामाजिक दृष्टिकोण से बौद्धिक सम्पदा का अधिकार एक निर्माता के व्यक्तिगत हितों की रक्षा इस प्रकार से करता है कि निर्माता द्वारा निर्मित की गयी वस्तुओं एवं समाज के विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा उन वस्तुओं के उपयोग से सम्बन्धित सूचनाओं में अधिकारों की भिन्नता रखते हुए, निर्माता को उसके निर्माण का श्रेय देते हुए विभिन्न तरीकों से प्रोत्साहित करता है। किसी सूचना के उत्पादन के पश्चात् वह सूचना विभिन्न उपयोगकर्ताओं के द्वारा अलग–अलग समय में आपस में बांटते हुए, प्रयुक्त की जाती है । ऐसी स्थिति में विभिन्न बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त सूचना का उत्पादक किसी भी तरह से अपने उत्पादक के स्वरूप में प्राप्त अधिकारों से वंचित न हो जाये और उपयोगकर्ताओं एवं उत्पादक में अधिकारों के संबंन्ध में पर्याप्त भिन्नता सुस्पष्ट रहे। आज हमारे समाज में विभिन्न सुविधाओं एवं उत्पादों के निर्माण के पीछे गहन चिन्तन एवं शोध के गम्भीर प्रयास सम्मलित होते हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त परिणाम अथवा उत्पाद अन्य दूसरे व्यक्तियों के द्वारा भिन्न–भिन्न तरीके से प्रयोग में लाया जाता है और कई बार ये दूसरे लोग उन उत्पादों के नवीन स्वरूपों में परिवर्तित कर, अथवा उनके आधार पर अन्य परिष्कृत उत्पाद तैयार कर उसका सम्पूर्ण श्रेय स्वयं लेने का प्रयास करते हैं। इस तरह से मूलरूप से एक व्यक्ति/खोजकर्ता के द्वारा विकसित अथवा

निर्मित एक उत्पाद का व्यावसायिक एवं वित्तीय लाभ दूसरे व्यक्ति के द्वारा बिना खोजकर्ता को श्रेय दिये लिया जा सकता है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार इसी तरह के कृत्यों से खोजकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है एवं खोजकर्ताओं को उनके द्वारा की गयी खोज का श्रेय देने के साथ–साथ उनके वित्तीय एवं व्यावसायिक अधिकारों को भी संरक्षित करता है।[1–6]

2. **भारत में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार का इतिहास**– भारत में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार का पहला प्रकरण वर्ष 1856 मे आया जब जॉर्ज अलफ्रडे डे पेनिंग ने अपना पेटेन्ट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बाद में उन्हें प्रदान किया गया। पेटेन्ट भारत के बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अन्तर्गत प्रदत्त प्रथम पेटेन्ट के रूप में जाना गया। बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अन्तर्गत आने वाले प्रतिलिप्याधिकार का इतिहास भारत में सर्वाधिक पुराना है। यह अधिकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में सन् 1847 में लागू किया गया। उस समय के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पुस्तक उसके लेखक के सम्पूर्ण जीवनकाल एवं उसकी मृत्यु के सात वर्षों तक कॉपीराइट एक्ट के अन्तर्गत नियंत्रित होती थी। वर्ष 1914 में भारतीय संसद में नया कॉपीराइट एक्ट पास किया गया, जो कि मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम के वर्ष 1911 के कॉपीराइट एक्ट के लगभग अनुरूप था। इसके पश्चात् स्वतंत्र भारत में वर्ष 1958 में नया कॉपीराइट एक्ट लागू किया गया। पेटेन्ट के दृष्टिकोण से भारत में सन 1856 में अधिनियम पास हुआ जो कि वर्ष 1883 में संशोधित किया गया। तत्पश्चात् सन् 1911 में भारती पेटेन्ट एवं डिजाइन एक्ट ने इसका स्थान लिया।यह अधिनियम वर्ष 1920, 1930 एवं वर्ष 1945 में पुनःसंशोधित किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने वर्ष 1949 में लाहौर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश डॉ0 बख्शी टेक चन्द की अध्यक्षता में पेटेन्ट अधिनियम की समीक्षा हेतु एक समिति बनाई। जिसके पश्चात् वर्ष 1950 में इस अधिनियम में परिवर्तन किये गये। भारत में ट्रेडमार्क पर वर्ष 1940 के पूर्व तक कोई भी औपचारिक कानून नहीं था।

3. बौद्धिक सम्पदा के अधिकार की श्रेणी

बौद्धिक सम्पदा के अधिकार में निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित अधिकारों को समाहित किया जाता है–

- साहित्यिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक कार्य
- एक कलाकार का प्रदर्शन
- मनुष्य के विभिन्न प्रयास क्षेत्रों में किये गये आविष्कार
- वैज्ञानिक खोज
- औद्योगिक डिजाइन
- ट्रेडमार्क या व्यापार चिन्ह एवं सेवा चिन्ह इत्यादि

बौद्धिक सम्पदा के अधिकार से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं के आधार पर बौद्धिक सम्पदा के अधिकार को निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा जा सकता है–

- ➢ बौद्धिक सम्पदा का अधिकार जो किसी आविष्कार एवं सृजनात्मक गतिविधियों के आधार पर प्रदान किया जाता हो । इसके अन्तर्गत पेटेन्ट, औद्योगिक डिजाइन, प्रतिलिप्याधिकार, पादप प्रजनक का अधिकार, एकीकृत परिपथ का ले–आउट या खाका डिजाइन इत्यादि आते हैं।
- ➢ बौद्धिक सम्पदा के वे सभी अधिकार जो किसी उपभोक्ता को सूचना प्रदान करते हैं। इसके अन्तर्गत ट्रेडमार्क एवं भौगोलिक संकेत आते हैं।

4. भारत में बौद्धिक सम्पदा आधारित अधिनियम

भारत सरकार के अलग–अलग विभागों ने बौद्धिक सम्पदा आधारित विभिन्न अधिनियम समय–समय पर लागू किये है, इनमें से कुछ प्रमुख अधिनियम निम्नलिखित हैं–

- कॉपीटाइट एक्ट, (1957) उच्च शिक्षा विभाग(1983, 1984, 1992, 1994, 1999 में संशोधित)
- पेटेन्ट एक्ट, (1970) औद्योगिक नीति एवं सम्वर्धन विभाग(1999 में संशोधित)

- ट्रेड मार्क एक्ट, (1990) औद्योगिक नीति एवं सम्वर्धन विभाग
- डिजाइन एक्ट, (2000) औद्योगिक नीति, सम्वर्धन विभाग
- Geographical Indication of GoodsRegistration and Protection) Act, (1999)औद्योगिक नीति एवं सम्वर्धन विभाग
- Semi-conductor Integrated CircuitsLayout Design Act, (2000)– सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
- Protection of Plant Varieties and Formers Rights Act, (2001)–कृषि एवं सहकारिता विभाग
- Competition Act, (2002) कार्पोरेट सम्बन्धित मामलों का विभाग
- Biological Diversity Act, (2002) पर्यावरण एवं वन विभाग
- Intellectual Property Rights (Imported Goods) Rules, (2007)

5. **अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा संगठन**– अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी विशिष्ट संस्था है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में कार्य कर रही है । इस संस्था की स्थापना हेतु वर्ष 1967 में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न सदस्य राष्ट्रों नें स्टॉकहोम में "Convention Establishing the World Intellectual Property Organization" पर हस्ताक्षर किये, जिसे वर्ष 1970 मे ं लागू किया गया। इस संस्था को पूर्व में फ्रेंच नाम BIRPI एवं इसके अंग्रेजी नाम Bureux for the Protectionof Intellectual Property से जाना जाता था एवं इसका मुख्यालय बर्न में था। इसके मुख्यालय को वर्ष 1960 में बर्न से जेनेवा में स्थानांतरित कर दिया गया । इस संस्था को इसकी आम–सभा में लिये गये निर्णय के अनुसार नियुक्त किये गये महानिदेशक के द्वारा संचालित किया जाता है। कोई भी राष्ट्र जो पूर्व से ही किसी संघ का सदस्य हो, इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकता है।

6. **प्राप्यलिप्याधिकार या कॉपीराइट, 1957**– कॉपीराइट किसी लेखक के मूल कार्य, जिसमें कि उसकी प्रतिलिपि बनाने, वितरण करने एवं सम्मलित करने के अधिकार शामिल हैं, आदि से सम्बद्ध विभिन्न विशिष्ट अधिकारों का समूह है। किसी भी कार्य के सन्दर्भ में उसका कॉपीराइट एक समय तक ही रहता है, जिसके पश्चात् वह कार्य सार्वजनिक ज्ञान क्षेत्र के अन्तर्गत जाना जाता है। कॉपीराइट एक्ट विचारों की अभिव्यक्ति से सम्बन्धित संरक्षण प्रदान करता है।

7. कॉपीराइट एक्ट की विभिन्न शर्ते

कॉपीराइट एक्ट के अन्तर्गत संरक्षित किसी पुस्तक पर यह एक्ट निम्न प्रकार से प्रभावी होता है–

- यदि पुस्तक किसी लेखक के द्वारा लिखी गयी है एवं उसकी मृत्यु के पहले प्रकाशित की जाती है, तब वह पुस्तक उस लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक कॉपीराइट एक्ट के अन्तर्गत संरक्षित रहेगी।
- यदि पुस्तक किसी लेखक द्वारा लिखी गई है एवं उसकी मृत्यु के पश्चात् प्रकाशित हुई है,तब वह पुस्तक अपने प्रकाशन के 60 वर्ष तक कॉपीराइट एक्ट के अन्तर्गत संरक्षित रहेगी।
- यदि पुस्तक किसी संस्थान अथवा संगठन के द्वारा प्रकाशित की गयी है, तब वह पुस्तक अपने प्रकाशन के 60 वर्ष तक कॉपीराइट एक्ट के अन्तर्गत संरक्षित रहेगी।

इन सभी परिस्थितियों में कॉपीराइट एक्ट के अनुसार संरक्षित रहने की सीमा समाप्त होने के पश्चात् वह पुस्तक या प्रलेख सार्वजनिक ज्ञान क्षेत्र में आ जायेगा एवं उस पर कॉपीराइट एक्ट का प्रभाव नहीं रहेगा।

8. **एकस्व एवं पेटेन्ट एक्ट, 1970**– एकस्व या पेटेन्ट एक आविष्कारक एवं राज्य के बीच का यह अनुबंध है जिसमें आविष्कारक या प्रार्थी को अपने आविष्कार से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण को प्रस्तुत करने के बदले में राज्य के द्वारा एक निश्चित समयान्तराल के लिए एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। एकस्व अथवा पेटेन्ट की इस व्यवस्था को निर्धारित करने का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न प्रकार के नवीन आविष्कारों से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाओं के अलग–अलग तकनीकी, आर्थिक एवं विकास कार्यों हेतु सार्वजनिक प्रयास को प्रोत्साहित करना एवं गोपनीयता को समाप्त करने का प्रयास करना है। सामान्यतः राज्य द्वारा प्रदान किये गये किसी पेटेन्ट की समय सीमा 20 वर्ष होती है। किसी व्यक्ति को राज्य के द्वारा पेटेन्ट प्राप्त हो जाने पर उसको इस बात का इकलौता अधिकार होता है कि वह उसे अपने अनुसार प्रयोग करे अथवा उस शोध को एक निश्चित समयान्तराल के लिए किसी अन्य व्यक्ति को बेच दे। भारत में पेटेन्ट व्यवस्था को नियंत्रित करने का

कार्य भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और सम्वर्द्धन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत Controller General of Patents, Designs, Trademarks and Geographical Indications के द्वारा सम्पादित किया जाता है । वर्तमान में भारत में चार पेटेन्ट कार्यालय कार्यरत हैं जिनमें से प्रधान कार्यालय कोलकाता में एवं अन्य कार्यालय दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई में अवस्थित हैं। इनके अतिरिक्त नागपुर में Patent Information System(PIS) राष्ट्र के विभिन्न पेटेन्ट का डाटाबेस है।

9. **ट्रेड मार्क (1999)**– आम आदमी की भाषा में ट्रेड मार्क को ब्राण्ड अथवा Brand Name भी कहते हैं। यह एक प्रतीक चिन्ह होता है, जो एक हस्ताक्षर, नाम, युक्ति, लेबल, अंक अथवा रंगों का समूह भी हो सकता है । यह एक व्यापारिक प्रतिष्ठान अथवा संगठन के द्वारा अपने व्यावसायिक उत्पादों अथवा सेवाओं को एक अलग पहचान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस तरह के प्रतीक चिन्ह विशिष्ट रेखांकन के द्वारा अपनी पहचान बनाते है एवं दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के समान उत्पादों से भिन्नता चिन्हित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक ट्रेडमार्क में मुख्यतः दो विशेषतायें होनी चाहिए, प्रथम कि वह विशिष्ट हो तथा द्वितीय कि वह वाणिज्य में प्रयुक्त होता हो ।

10. **ट्रेड मार्क के प्रकार**–

- ट्रेड मार्क, सर्विस मार्क, कलेक्टिव मार्क, सर्टिफिकेशन मार्क

ट्रेड मार्क मुख्यतः चार प्रकार के कार्यों को सम्पादित करता है:–

1– यह एक सामग्री / माल की पहचान स्पष्ट करता है एवं उसकी उत्पत्ति इंगित करता है।
2– यह उक्त उत्पाद / माल की निर्धारित गुणवत्ता की गारंटी देता है।
3– यह उक्त उत्पाद / माल के प्रचार को सुनिश्चित करता है।
4– यह उक्त उत्पाद / माल की ख्याति का परिचायक है।

भारत में ट्रेड मार्क आवंटन एवं उनके नियंत्रण हेतु पाँच ट्रेड मार्क पंजीयन के कार्यालय मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद एवं चेन्नई में स्थापित किये गये हैं। इनमें से मुम्बई का कार्यालय मुख्य कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

11. **निष्कर्ष**– इस पाठ में हमने बौद्धिक सम्पदा के अधिकार को पारिभाषित करते हुए समझने का प्रयास किया तथा बौद्धिक सम्पदा के अधिकार की आवश्यकताओं पर चर्चा की। बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की पहचान करते हुए उन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया। भारत में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अन्तर्गत संसद में पारित किये गये विभिन्न अधिनियमों को सूचीबद्ध किया। अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा संगठन पर प्रकाश डाला एवं अन्त में प्रतिलिप्याधिकार या कॉपीराइट, एकस्व या पेटेन्ट एवं ट्रेडमार्क पर व्यवहारिक तथ्य प्रस्तुत किये।

References

1. Acharya, N. K. (2001) Textbook on intellectual property rights. Hyderabad, Asia Law House, 2001.
2. Cornish W, R. (2001) Intellectual property: Patents, copyright, trademarks and allied rights. Delhi, Universal Law Publishing, 2001.
3. Mazzone J. (2011) Copyfraud and Other Abuses of Intellectual Property Law. Standford, Standford Law Books, 2011.
4. McLeod K., and Lessig; L. (2007) Freedom of Expression: Resistance and Repression in the Age of Intellectual Property. Minnesota, University of Minnesota Press, 2007.
5. Myneni, S.R. (2001) Law of intellectual property, Hyderabad, Asia Law Ouse, 2001.
6. Singh S.K. (2012) Intellectual Property Rights Laws. Delhi, Jain Book Agency, 2012.